

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

खेती कुमाँ मठली वनाम हरिहर महती वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
23-02-18	<p>अभिलेख सं०-एम.....14...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी <u>सोनाहातु</u> के अप्राथमिकी सं०-03/18 दिनांक-12/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>मीजा मगनडीह खाना न० 60, 25/4 प्लॉट न० 562, 563 कुल एकका 7850 का बालाख की लेकर समय पत्र में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>16-03-18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित्त एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
16-03-18	<p><u>मीजा मगनडीह पदाधिकारी नगा केचाखत बुनाव धरि के ज्ञात। दिनांक 02-04-18 से रखें।</u></p>	

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि की गोंग की गठी प्रथम पत्र
गवली देह दिनांक 01-02-19 को रखे।


21/2/19

01-02-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधिवक्ता। गवली दिनांक पत्र उपस्थापित।
इसके बाद में 6 (छ.) माह की अवधि पूर्ण
हो चुकी है अर्थात् बाद कालबाधित हो गया है।
अतः बाद में अभिलेख की कारवाई
बन्द की जाती है।


21/02/19